nwda.gov.in

रोक के बावजूद नदी-नहर में फेंकी जा रही पूजा सामग्री

■ राम त्रिपाठी, नई दिल्ली: नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की रोक के बावजूद पूजा सामग्री और मूर्तियां यमुना नदी और गाजीपुर नहर में बहाई जा रही है। आईटीओ ब्रिज, गीता कॉलोनी ब्रिज से यमुना में पूजा का सामान फेंका जा रहा है। पुलों पर चेतावनी देते बोर्ड तो जरूर लगे हैं, लेकिन इसके पास से ही सामान नदी में बहाया जा रहा है। यमुना में पूजा का सामान फेंकने आए लोगों की मदद के लिए वहां कुछ लोग भी मौजूद हैं, जो 5 से 10 रुपये लेकर इसे नदी में बहा देते हैं। वहीं वसुंधरा एनक्लेव से गुजर रही गाजीपुर नहर में कचरा फेंका जा रहा है।

एनजीटी ने नदी, नहर और तालाबों में कुछ भी सामान बहाने पर 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान काफी समय से किया हुआ है। इसके बावजूद नदी-नहरों को गंदा करने वालों पर लगाम नहीं लग सकी है। वसुंधरा एनक्लेव में रहने वाली अनीता बहल बताती हैं कि प्राइवेट सफाई कर्मचारी रिक्शा में कचरा लेकर आते है और इसे गाजीपुर नहर में फेंक देते हैं। रजनीश गौतम बताते हैं कि नदी को प्रदूषित करने का यह सिलसिला कई साल से जारी है।